

प्रपत्र-12  
(देखें नियम 42)  
नाम निर्देशन का प्रपत्र  
नाम निर्देशन पत्र

वै.सं. = 1.55  
दि. = 24/09/22

\*नगर निगम/\*नगर परिषद/\*नगर पंचायत 7014-निगाह से वार्ड संख्या 34 से पार्षद

\*नगर निगम/\*नगर परिषद/\*नगर पंचायत ..... से उप मुख्य पार्षद

\*नगर निगम/\*नगर परिषद/\*नगर पंचायत ..... से मुख्य पार्षद

में (प्रस्तावक का नाम) श्री. शम्सुद्दीन \*नगर निगम/

\*नगर परिषद/\*नगर पंचायत 7014-निगाह पार्षद के उपर्युक्त पद के लिए

निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट करता/करती हूँ।

अभ्यर्थी का नाम श्री. शम्सुद्दीन

पिता/पत्नी का नाम आक़ताब-आलम

उम्र 38 वर्ष-आठ माह पता सादरुवा-वार्ड-1-34 (मेन-205)

अभ्यर्थी का नाम वार्ड संख्या 34 की मतदाता सूची के क्रमांक 6949 पर दर्ज है।

प्रस्तावक का नाम श्री. शम्सुद्दीन Shaheen Parween

प्रस्तावक का नाम वार्ड संख्या 34 की मतदाता सूची के क्रमांक 853 पर दर्ज है।

प्रस्तावक का हस्ताक्षर श्री. शम्सुद्दीन Shaheen Parween

समर्थक का नाम श्री. शम्सुद्दीन

समर्थक का नाम वार्ड संख्या 34 की मतदाता सूची के क्रमांक 7026 पर दर्ज है।

समर्थक का हस्ताक्षर श्री. शम्सुद्दीन Shaheen Parween

अभ्यर्थी की घोषणा

एतद् द्वारा मैं घोषित करता/करती हूँ कि मैं इस नाम निर्देशन से सहमत हूँ।

तिथि :- 24-09-2022

Shaheen Parween  
अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

(निर्वाची पदाधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

क्रमांक 09

यह नाम निर्देशन पत्र मुझे मेरे कार्यालय (स्थान का नाम) उपर सौंपा गया है।

में दिनांक 24/9/22 को 1.55 बजे पूर्वाह्न/अपराह्न अभ्यर्थी द्वारा दिया गया।

तिथि-

निर्वाची पदाधिकारी/सहायक निर्वाची

हस्ताक्षर का हस्ताक्षर

**प्रपत्र-क  
मतदाता होने की घोषणा**

मैं सादिक - खान पिता/पति आफ़्ताब - खान उम्र 38 वर्ष 8/1/87

\*नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत 7212 - निरौली के वार्ड संख्या 34

पाना काशीमोहम्मदपुर जिला मुजफ्फरपुर बिहार का निवासी हूँ, घोषणा करता/करती हूँ-

कि मेरा नाम \*नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत 7212 - निरौली के वार्ड संख्या 34

की मतदाता सूची के क्रमांक 6949 पर दर्ज है तथा इसके अलावे इस नगरपालिका के किसी अन्य वार्ड

की मतदाता सूची में मेरा नाम अंकित नहीं है। यह भी कि राज्य या राज्य के बाहर के अन्य किसी

\*नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/ग्राम पंचायत के लिए गठित मतदाता सूची में मेरा नाम दर्ज नहीं है :-

या

कि मेरा नाम उक्त के अलावे निम्नलिखित \*नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/ग्राम पंचायत के वार्ड के लिए गठित मतदाता सूची में दर्ज है:

क्रमांक	जिला का नाम	*नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/ *ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड संख्या	मतदाता सूची का क्रमांक
1	2	3	4	5
	<u>23-4</u>	<u>23-4</u>	<u>23-4</u>	<u>23-4</u>

चूँकि मेरा नाम इस \*नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत के लिए गठित मतदाता सूची के अलावे उक्त \*नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में है, अतः मेरे द्वारा वहाँ से नाम विलोपन हेतु संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के यहाँ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र-3 में आपत्ति दिया गया है, जिसकी छाया प्रति संलग्न है।

मैं इस नगर निकाय के अलावे किसी अन्य नगर निकाय/ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम रहने पर भी निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी होने का अधिकार एवं मतदाता के रूप में मतदाता का उपयोग नहीं करूँगा/करूँगी।

स्थान : मुजफ्फरपुर  
दिनांक - 24-09-2022

Shaheen Parween  
अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

\*जो लागू नहीं हो उसे काट दें